# न्यायालय सहायक कलेक्टर आहोर, जिला–जालोर ( राज. )

**पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.**

राजस्व वाद संख्या 24 / 2014

| वादीया | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. मोहनलाल पुत्र सगीया<br>2. शांतीलाल पुत्र सगीया<br>3. अशोक पुत्र सगीया<br>4. पप्पूराम पुत्र सगीया<br>5. गेरकी पुत्री सगीया<br>6. अम्बा पुत्री सगीया<br>7. रकमादेवी पुत्री सगीया<br>8. रेखा पुत्री सगीया<br>समस्त जातियान भांबी, निवासीगण गोदन, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.) | | 1. पुखराज पुत्र रताजी<br>जाति भांबी, निवासी पाण्डगरा<br>तहसील आहोर (जालोर)<br>2. सगीया पुत्र विरका<br>जाति भांबी, निवासी गोदन<br>तहसील आहोर (जालोर)<br>3. राजस्थान सरकार जरिये<br>तहसीलदार आहोर |

## दावा बाबत् घोषित करने हक खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थिति – श्री विक्रमसिंह राजपुरोहित, वकील वादीगण
श्री गोपाललाल जीनगर, वकील प्रतिवादी 2
प्रतिवादी संख्या 1 (एक पक्षीय कार्यवाही)
तहसीलदार आहोर राज पैरोकार, प्रतिवादी संख्या 3

## निर्णय

दिनांक – 24 / 8 / 2022

वादीगण द्वारा दावा बाबत् घोषित करने हक खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 का पेश किया गया है, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा गोदन, तहसील आहोर, जिला जालोर के पुराने खसरा नम्बर 36 व 144 मीन की खातेदारी भूमि वादीगण के दादा वीरका पुत्र सूरता के नाम से पुराने राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। जिसमें वादीगण के दादा विरका तथा परदादा सूरता का नाम दर्ज था। वास्ते अवलोकनार्थ पुरानी जमाबन्दी संवत् 2015 से 2018, 2019 से 2022 तथा 2027 से 2030 की प्रमाणित प्रतिलिपि दावे के साथ पेश है। इस प्रकार यह तथ्य निर्वविवाद रूप से तथा दस्तावेजी सबूतों से प्रथम दृष्ट्या साबित है कि उपरोक्त भूमि वादीगण के लिये पुश्तैनी थी एवं रि–सैटलमेन्ट कार्यवाहीं के दौरान पुराने खसरा नम्बर 36 व 144 के नवीन खसरा नम्बर क्रमशः 561, 569, 560 / 878 व 570 बनाये गये। नकल मिलान क्षैत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपि भी दावें साथ पेश है। वादीगण के दादा विरका पुत्र सूरता के फौत हो जाने के पश्चात् वादीगण के पिता सगीया उर्फ संग्रामा पुत्र विरका जाति भांबी के नाम से नामान्तरकरण दर्ज हुआ, जो चालू जमाबन्दी 2044 से अब तक क्रमशः चला आ रहा है। नकल पुराने नामान्तरकरण संख्या 280 व 546 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं चालू जमाबन्दी संवत् 2044 से 2049 व संवत् 2068 से 2071 की प्रमाणित प्रतिलिपि दावें के साथ पेश है।

यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण के पिता द्वारा वादीगण की सहमती के बिना उपरोक्त पुश्तैनी भूमि खसरा नम्बर 570 कुल रकबा 0.33 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 560 / 878, 561 व 569 कुल रकबा 3.33 हैक्टर में 1 / 4 हिस्सा = 0.83 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को वादीगण की सहमती के बिना बैचान कर दिया, जबकि वादग्रस्त भूमि

24.8.2022

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर, जिला–जालोर (राज.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) आहोर, जिला-जालोर (राज.)

Scanned with CamScanner

वादीगण के लिये पुर्वजो की विरासत में प्राप्त पुश्तैनी भूमि थी तथा पुश्तैनी भूमि में वादीगण को भी हिन्दू उत्तराधिकारी के तहत् उसके समस्त प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारों को कानूनन अधिकार जन्म से ही स्थापित हो जाता है, उसके बावजूद भी नियमों की अवहैलना करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादीगण के हिस्से का भी बैचान कर दिया, जबकि वादग्रस्त भूमि पर आज दिन तक वादीगण का ही कब्जा काश्त है, वादीगण अनपढ व गरीब काश्तकार पैशा व्यक्ति है तथा वादग्रस्त भूमि के अलावा वादीगण के पास भरण पौषण व जीविका पार्जन हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं है, इस प्रकार वादगस्त भूमि में वादीगण के दादा की फौतगी के पश्चात् कुल जिवित वारीसान वादीगण–8 + प्रतिवादी संख्या 1 कुल 9 वारीसान बनते है। इस प्रकार खसरा नम्बर 570 बैचान रकबा 0.33 हैक्टर में वादीगण के हिस्से में 0.29 हैक्टर भूमि आती है। इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 561, 569, 560/878 कुल बैचान भूमि 3.33 हैक्टर में 1/4 = 0.83 हैक्टर का बैचान किया गया है तथा 0.83 हैक्टर की भूमि में भी वादीगण हिस्से में 0.74 हैक्टर भूमि आती है। इस प्रकार इस हक तक बैचान दस्तावेज शून्य दस्तावेज है तथा इसके स्थान पर वादीगण न्यायालय से खातेदारी हक की घोषणा प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी है।

यह है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम गोदन की आबादी भूमि के नजदीक आई हुई है तथा डामर सड़क पर स्थित है तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उपरोक्त भूमि को स्वर्ण जाति के भू–माफियाओं को बैचान किये, लेकिन दस्तावेज में अनुसूचित जाति के नाम से दस्तावेज अन्तरित किया है। वादग्रस्त भूमि में यदि वादीगण के हक की घोषणा नहीं की गई, तो भूमि का भू–माफियाओं द्वारा छोटे–छोटे टूकडों में बैचान कर दिया जावेगा तथा वादीगण काश्त से वंचित रह जायेंगे। इस आधार पर भी दावा स्वीकार करने योग्य है तथा बिनायदावा ग्राम गोदन में दिनांक 25/02/2014 को उस वक्त उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 भू–माफियाओं को मौके पर लेकर आया तथा वादीगण के कब्जे की खडी रायडें की फसल में जबरन ट्रैक्टर चलाकर खुर्द–बुर्द करने की धमकी दी, तथा वादीगण द्वारा मना करने पर कहा कि वादग्रस्त भूमि बाबत् आबादी संपरिवर्तन की फाईल कार्यालय में विचाराधीन है। अब हम भूमि को बैचान करने वाले है आप कब्जा छोडकर चले गये, तब मूल रूप से बिनायदावा उत्पन्न हुआ।

वादीगण द्वारा दावा पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन के प्रतिवादीगण को तलब किया गया, जिस पर तारीख पेशी दिनांक 07/05/2014 को प्रतिवादी संख्या 2 का नोटिस तामिलसुदा प्राप्त होने के बाद उनकी ओर से वकालातनामा पेश किया गया, जो कि शामिल मिसल किया गया एवं अन्त तक जवाब पेश नहीं किया गया, इसके पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 की विधिवत रूप से बार–बार पीएफ जारी करने के बावजूद भी तामिल नहीं हो पा रहीं थी, जिस पर वादीगण द्वारा तारीख पेशी 16/02/2017 द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दावा पत्रावलीं प्रस्तुत किये लम्बा समय हो गया है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 का नोटिस तामिल नहीं कर जानबुझकर तामिल से बच रहा है, जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 07/12/2017 को वादीगण का अखबार चस्पा करने का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर नोटिस समाचार पत्र में प्रकाशन के आदेश पारित किये, तत्पश्चात् आदेश की पालना में वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नोटिस को अखबार में चस्पा कर अखबार की मूल प्रति तारीख पेशी 06/06/2018 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की, इसके बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी संख्या 1 पुखराज के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाहीं अमल में लाई गई। इसके पश्चात् चूंकि पत्रावलीं में प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था एवं प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध पूर्व में ही एक पक्षीय कार्यवाहीं होने से पत्रावलीं में तनकीयात् की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावलीं सीधे ही साक्ष्य वादीगण में रखी गई, जिस पर वादीगण शान्तिलाल, मोहनलाल द्वारा मुख्य परिक्षण के शपथ पत्र प्रस्तुत किये एवं स्वतन्त्र गवाह कुयाराम का साक्ष्य शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये, जो कि शामिल मिसल किये गये एवं प्रतिवादी संख्या 3 फार्मल पक्षकार होने से उनकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

24.8.2021

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर, जिला–जालोर (राज.)



Scanned with CamScanner

अन्त में वादीगण अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम गोदन के हाल खसरा नम्बर 570 कुल रकबा 0.33 हैक्टर में वादीगण के हिस्से की 0.29 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 561, 569, 560/878 कुल बैचान भूमि 3.33 हैक्टर में वादीगण के हिस्से की 0.74 हैक्टर भूमि पुश्तैनी होने से इस सीमा तक वादीगण को वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करने हेतू तहसीलदार आहोर को आदेश प्रदान करावें, इसके बाद अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से बहस में निवेदन किया कि खरीददार प्रतिवादी संख्या 1 उपरोक्त भूमि का वास्तविक मालिक नहीं है एवं भू–माफियाओं द्वारा उक्त भूमि को खरीद किया हुआ है, लेकिन भू–माफियाओं गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बैचाननामा औपचारिक तौर पर करवाया गया है एवं बरवक्त पंजीयन प्रतिवादी संख्या 2 को पंजीयन कार्यालय के बाहर आकर प्रतिफल भुगतान का वादा किया था, लेकिन दस्तावेज पंजीयन के बाद आज दिन तक प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है, इस कार प्रथम दृष्ट्या प्रतिवादी संख्या 2 के साथ धोखाधडी हुई है, अन्त में वादीगण का वाद स्वीकार करने में सहमती प्रकृट की।

हमने पत्रावलीं का अवलोकन किया एवं बहस के बिन्दूओं पर मनन किया, जिसके अनुसार वादीगण द्वारा दावें के साथ प्रस्तुत पुराने दस्तावेज यथा पुरानी जमाबन्दी संवत् 2015 से 2018, 2019–2020, 2027–2030 प्रस्तुत की है, जिसमें वादीगण के दादा एवं परदादा का नाम अंकित है, जिससे यह तथ्य निर्विवाद रूप से साबित है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के लिए पुश्तैनी थी, जिसको बैचान करने का प्रतिवादी संख्या 2 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, इस कारण वादीगण के पुश्तैनी हकूकों की सीमा तक उक्त बैचाननामा कानूनन शून्य होने से वादीगण इसके स्थान पर खातेदारी घोषणा दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है, अतः वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है।

**– आदेश –**

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम गोदन, तहसील आहोर, जिला जालोर के वर्तमान खसरा नम्बर 570 कुल रकबा 0.33 हैक्टर की भूमि में वादीगण को 0.29 हैक्टर भूमि का एवं ग्राम गोदन के वर्तमान खसरा नम्बर 561, 569, 560/878 की भूमि में 0.74 हैक्टर भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार आहोर को आदेशित किया जाता है कि उक्त अनुसार वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करे। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

**निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।**

24.8.2021

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) आहोर, जिला-जालोर (राज.)

**विवेक व्यास**
**RAS**
सहायक कलेक्टर, आहोर (जालोर)
**सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)**
**आहोर, जिला–जालोर (राज.)**



Scanned with CamScanner

**डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई**

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत.....**सहायक कलेक्टर**.....मुकाम..... **आहोर, जिला–जालोर**.
बइजलास .....**श्री विवेक व्यास आर.ए.एस**.....
..... **मोहनलाल वगैरा** .....बनाम..... **पुखराज वगैरा**.....
दावा बाबत्.....**घोषित करने हक खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955**..... मुकदमा नम्बर.....**24**.....सन्.....**2014**....
यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू **पक्षकारान्** व हाजरी **श्री विक्रमसिंह राजपुरोहित वकील वादीगण तथा प्रतिवादी 02 की ओर से श्री गोपाललाल जीनगर** मिनजानिब मुद्दई व **तहसीलदार आहोर** मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम गोदन, तहसील आहोर, जिला जालोर के वर्तमान खसरा नम्बर 570 कुल रकबा 0.33 हैक्टर की भूमि में वादीगण को 0.29 हैक्टर भूमि का एवं ग्राम गोदन के वर्तमान खसरा नम्बर 561, 569, 560/878 की भूमि में 0.74 हैक्टर भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार आहोर को आदेशित किया जाता है कि उक्त अनुसार वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करे। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

लीज .....मुबलिग.....बाबत.....
खर्चा इस मुकदमें के सूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करे।

बस्ख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24/8/2022 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर, आहोर
जिला–जालोर (राज.)

मुहर

| मुद्दई | रूपया पै. | मुद्दायलाह | रूपया पै |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजीदावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह वकील<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत् इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक<br><br>मीजान | / | स्टाम्प अरजीदावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह वकील<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत् इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक<br><br>मीजान | / |

24.8.2022

सहायक कलेक्टर, आहोर
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर, जिला–जालोर (राज.)



Scanned with CamScanner